

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 22-11-2024

विषय सूची

भूख से निपटने में झड फसलों की प्रभावशीलता

इनडोर वायु गुणवत्ता और शुद्धिकरण

UNFCCC-CoP29 के पूर्ण सत्र में भारत का हस्तक्षेप

हर बच्चे का महत्व: गोद लेने की वकालत (Every Child Matters: Advocating for Adoption)

भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन

हरित हाइड्रोजन का निर्यात केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा

संक्षिप्त समाचार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार

अमूर फाल्कन (Amur Falcon)

पेस कार्यक्रम (PACE program)

रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित की

आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया

बौद्ध सिद्धांत (Buddhist Doctrines)

अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना

भूख से निपटने में GM फसलों की प्रभावशीलता

सन्दर्भ

- आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों में भूख और खाद्य असुरक्षा को अत्यंत सीमा तक कम करने की क्षमता है, लेकिन उनका प्रभाव काफी हद तक अपनाई गई कृषि पद्धतियों पर निर्भर करता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों (जिन्हें आनुवंशिक रूप से डिज़ाइन की गई फसलें भी कहा जाता है) के बारे में

- ये ऐसे पौधे हैं जिनके आनुवंशिक पदार्थ को विशिष्ट DNA अनुक्रमों का उपयोग करके जानबूझकर परिवर्तित किया गया है।
- इन संशोधनों का उद्देश्य वांछनीय गुणों को बढ़ाना है, जैसे कीटों के प्रति प्रतिरोध, पर्यावरणीय तनावों (जैसे सूखा या अत्यधिक तापमान) के प्रति सहनशीलता और बेहतर उपज।
- वैज्ञानिक फसल पौधों में विशिष्ट जीन प्रस्तुत करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम-मध्यस्थ परिवर्तन और कण बमबारी जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये जीन एक ही प्रजाति या अन्य जीवों से भी आ सकते हैं।

भूख से निपटने में GM फसलों की भूमिका

- विकासशील देशों में भूख एक आवर्ती समस्या है, और फसलों के आनुवंशिक संशोधन (GM) को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है।
- GM फसलें खाद्यान्न की कमी को कम करने में सहायता कर सकती हैं क्योंकि उन्हें कीट प्रतिरोध, शाकनाशी सहिष्णुता और बढ़ी हुई पोषण सामग्री जैसे गुणों के साथ तैयार किया जाता है।
- इन संशोधनों से अधिक उपज, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सकती है और पर्यावरणीय तनावों के प्रति बेहतर लचीलापन हो सकता है।
- GM फसलों के साथ भारत की यात्रा 2002 में Bt कपास के वाणिज्यिक रिलीज के साथ शुरू हुई, जिसमें बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंगिएंसिस (Bacillus Thuringiensis) का एक जीन होता है, जो एक विष उत्पन्न करता है जो विशिष्ट कीटों के लिए हानिकारक होता है, जिससे कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है।

भारत में नियामक ढांचा

- यह मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा शासित है।
- GEAC वाणिज्यिक खेती के लिए GM फसलों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है, यह सुनिश्चित करता है कि वे कड़े जैव सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों को पूरा करते हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश सुरक्षा एवं उचित निगरानी सुनिश्चित करते हैं।
- इन विनियमों के बावजूद, GM फसलों की शुरूआत को किसानों, पर्यावरणविदों और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

चुनौतियाँ और विचार

- **कीट प्रतिरोध:** कीट प्रतिरोधी गुणों वाली GM फसलों पर अत्यधिक निर्भरता से प्रतिरोधी कीट आबादी का विकास हो सकता है।

- **जैव विविधता:** GM फसलों को जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिमों से जोड़ा गया है। विदेशी जीनों के प्रवेश से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो सकते हैं और लाभकारी जीवों को हानि पहुँच सकती है।
- **आर्थिक पहुँच:** छोटे किसानों को उच्च लागत और बौद्धिक संपदा अधिकारों के कारण GM बीजों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** GM खाद्य पदार्थों के सेवन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में परिचर्चा चल रही है।
- **पारंपरिक प्रथाओं की हानि:** GM फसलों को अपनाने से पारंपरिक कृषि पद्धतियों और स्वदेशी फसल किस्मों का क्षरण हो सकता है, जो कृषि विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय GM नीति के लिए मुख्य विचार

- GM नीति किसान-केंद्रित होनी चाहिए जैसे किसानों को सशक्त बनाना; मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता या मानव स्वास्थ्य के साथ सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करना; जैव विविधता की रक्षा करना; और समावेशी निर्णय लेना।
- **पारदर्शी विनियामक ढांचा:** GM फसलों की स्वीकृति और निगरानी के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह विनियामक ढांचा स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
- **गैर-GM विकल्पों के लिए समर्थन:** नीति को गैर-GM विकल्पों के अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देना चाहिए जो संबंधित जोखिमों के बिना समान कृषि लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि GM फसलें छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों।
 - इसमें GM फसल की खेती से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए सब्सिडी, ऋण तक पहुँच और बीमा योजनाएँ प्रदान करना शामिल है।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर GM फसलों के प्रभावों की निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन आवश्यक है।

आगे का राह: सतत कृषि पद्धतियाँ

- **फसल चक्रण:** GM फसलों को गैर-GM फसलों के साथ चक्रित करने से कीट प्रतिरोध के निर्माण को रोका जा सकता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है।
- **संरक्षण जुताई:** यह अभ्यास मिट्टी के कटाव को कम करता है और जल प्रतिधारण में सुधार करता है, जो GM फसलों के लिए लाभदायक है जो विशिष्ट मिट्टी की स्थितियों में पनपने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM):** GM फसलों को IPM रणनीतियों के साथ मिलाने से रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

- GM फसलों में भूख से लड़ने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने की महत्वपूर्ण क्षमता है, लेकिन उनकी सफलता सतत कृषि पद्धतियों और संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है।
- GM फसलों को समग्र कृषि रणनीतियों के साथ एकीकृत करके, हम एक अधिक खाद्य-सुरक्षित विश्व बनाने के लिए उनकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।

Source: TH

इनडोर वायु गुणवत्ता और शुद्धिकरण

सन्दर्भ

- उत्तर भारत के अधिकांश भागों में, PM 2.5 का स्तर लगभग पूरे वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से अधिक रहता है, जिससे इनडोर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आवश्यक हो जाता है।

इनडोर वायु प्रदूषण

- इनडोर वायु प्रदूषण से तात्पर्य इमारतों और घरों के अंदर हवा में हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों की उपस्थिति से है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
- यदि उचित वेंटिलेशन या वायु निस्पंदन प्रणाली नहीं है, तो ये प्रदूषक हानिकारक स्तर तक जमा हो सकते हैं।

इनडोर वायु प्रदूषण के सामान्य स्रोत:

- घरेलू उत्पाद:** सफाई एजेंट, पेंट और एयर फ्रेशनर हवा में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) जैसे रसायन छोड़ सकते हैं।
- तम्बाकू का धुआँ:** सिगरेट का धुआँ एक महत्वपूर्ण इनडोर वायु प्रदूषक है।
- खाना बनाना:** स्टोव, विशेष रूप से गैस स्टोव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर छोड़ते हैं।
- धूल और पराग:** जमा हुई धूल और बाहरी पराग श्वसन संबंधी स्थितियों और एलर्जी को खराब कर सकते हैं।

प्रभाव:

- विकासशील देशों में इनडोर वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जहाँ लोग प्रायः खाना पकाने और गर्म करने के लिए घर के अंदर लकड़ी, कोयला, गोबर या अन्य ठोस ईंधन जलाते हैं।
 - इन सामग्रियों को जलाने से हवा में हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं, जिनमें महीन कण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई अन्य विषाक्त पदार्थ शामिल हैं।
- इससे स्टोक, इस्केमिक हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और फेफड़ों के कैंसर सहित गैर-संचारी रोग होते हैं।
- महिलाएं और बच्चे, जो सामान्यतः खाना पकाने और जलाऊ लकड़ी एकत्रित करने जैसे घरेलू कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, घरों में प्रदूषणकारी ईंधन और प्रौद्योगिकियों के उपयोग से सबसे अधिक स्वास्थ्य संबंधी भार उठाते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इनडोर वायु प्रदूषण के कारण लगभग 4.2 मिलियन लोगों की मृत्यु समय से पहले हो जाते हैं।

उपाय

- इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार की शुरुआत PM2.5 के संपर्क को नियंत्रित करने से होती है, जो चिंता का मुख्य प्रदूषक है जो श्वसन संबंधी बीमारियों, हृदय संबंधी स्थितियों और तंत्रिका संबंधी विकारों से जुड़ा हुआ है।
- पहला कदम बाहरी प्रदूषकों के प्रवेश को सीमित करना है।
 - खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखने से प्रदूषित हवा अंदर नहीं जा पाती, जबकि खिड़कियों, दरवाज़ों और वेंट के आस-पास की जगह को सील करने से हवा का रिसाव कम होता है।

- **घर के अंदर के पौधे:** इनडोर पौधे प्रदूषकों को सोखकर और ऑक्सीजन छोड़कर हवा को शुद्ध करने में सहायता करते हैं।
- एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना, विशेषकर बेडरूम जैसी जगहों पर जहाँ काफी समय बिताया जाता है, जोखिम को कम करने की कुंजी है।
- प्यूरीफायर को साफ करने के लिए ज़रूरी हवा की मात्रा को सीमित करना - दूसरे कमरों के दरवाज़े बंद करके - दक्षता को और बढ़ाता है।

वायु शोधक/एयर प्यूरीफायर का महत्व

- एयर प्यूरीफायर वास्तव में HEPA (हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर) फिल्टर के साथ जोड़ा गया पंखा है, जिसे PM2.5 जैसे महीन कणों को फंसाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- कई आधुनिक प्यूरीफायर सेंसर के साथ आते हैं जो हवा की गुणवत्ता के आधार पर पंखे की गति को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होता है।

एयर प्यूरीफायर की सीमाएँ:

- **प्रभावशीलता:** बाहरी वायु शोधक (स्मॉग टावर) बाहरी हवा की विशाल मात्रा के कारण अप्रभावी होते हैं।
 - घरों में इनडोर प्यूरीफायर खराब सीलिंग वाले घरों में कम प्रभावी होते हैं, जहाँ बाहरी प्रदूषक आसानी से घुस जाते हैं।
- **नैतिक मुद्दे:** एयर प्यूरीफायर असमान समाधान हैं, जो केवल उन लोगों को लाभ पहुँचाते हैं जो उन्हें वहन कर सकते हैं।
 - ये व्यक्तिगत उपाय लक्षणों को संबोधित करते हैं, मूल कारणों को नहीं, और वर्तमान असमानताओं को बढ़ाने का जोखिम उठाते हैं।
 - दीर्घकालिक समाधानों के लिए बाहरी वायु गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता होती है, न कि केवल व्यक्तिगत शमन प्रयासों की।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, इनडोर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए और अधिक प्रभावी समाधान सामने आ रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, अब घरों में कॉम्पैक्ट एवं अधिक कुशल वायु गुणवत्ता सेंसर लगाए जा सकते हैं, जो प्रदूषण के स्तर की निरंतर निगरानी करते हैं और वायु गुणवत्ता खराब होने पर अलर्ट प्रदान करते हैं।
- नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य के नवाचार के लिए एक आशाजनक क्षेत्र है।

Source: IE

UNFCCC-CoP29 के पूर्ण सत्र में भारत का हस्तक्षेप

समाचार में

भारत ने बाकू, अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के CoP29 के पूर्ण अधिवेशन में जलवायु वित्त को सक्षम बनाने से हटकर शमन पर बल दिए जाने पर निराशा व्यक्त की।

UNFCCC-CoP29 के पूर्ण सत्र में भारत के हस्तक्षेप के बारे में

- **दृष्टिकोण:** भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDCs) की ओर से बोलीविया द्वारा दिए गए बयान के साथ अपना दृष्टिकोण संरेखित किया और दोहराया कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध

लड़ाई की प्रक्रिया को UNFCCC और उसके पेरिस समझौते द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, क्योंकि वैश्विक दक्षिण जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों का सामना करना जारी रखता है।

- **शमन फोकस के बारे में चिंताएँ:** भारत ने शमन के संबंध में कैसे एवं क्या दोनों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया, और आग्रह किया कि शमन महत्वाकांक्षाओं के लिए पर्याप्त वित्त तथा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
 - जलवायु वित्त पर चर्चा से हटकर शमन पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करने की ओर बदलाव को भारत ने अस्वीकार कर दिया।
- **जलवायु वित्त (नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG)):** भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) तैयार करने और लागू करने के लिए अनुदान-आधारित रियायती जलवायु वित्त के महत्व पर प्रकाश डाला।
 - विकासशील देशों में जलवायु क्रियाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 600 बिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के साथ 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर जुटाने के लक्ष्य के प्रस्ताव पर बल दिया गया।
 - भारत ने दोहराया कि जलवायु संबंधी कार्यवाहियाँ राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप देश-संचालित होनी चाहिए।
- **शमन कार्य कार्यक्रम (MWP):** भारत ने मसौदा पाठ में शमन कार्य कार्यक्रम (MWP) के दायरे में परिवर्तनों का विरोध किया।
 - भारत ने प्रस्तावना में 2030, 2035 और 2050 के लक्ष्यों को शामिल करने को अस्वीकार कर दिया, उन्हें निर्देशात्मक और पेरिस समझौते के ढांचे से बाहर बताया।
 - भारत ने अनुलग्नक-1 पक्षों द्वारा उत्सर्जन में वृद्धि और जलवायु कार्रवाई पर एकतरफा उपायों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताओं को शामिल करने का आग्रह किया।
- **न्यायसंगत परिवर्तन:** भारत ने CoP28 में स्थापित न्यायसंगत परिवर्तन पर साझा समझ पर किसी भी तरह की पुनः वार्तालाप को अस्वीकार कर दिया।
 - भारत ने इस बात पर बल दिया कि न्यायसंगत परिवर्तन वैश्विक स्तर पर शुरू होने चाहिए, जिसमें विकसित देश शमन में अग्रणी भूमिका निभाएँ और विकासशील देशों को कार्यान्वयन के साधन प्रदान करें।
- **वैश्विक समीक्षा (GST):** भारत ने GST परिणामों की अनुवर्ती प्रक्रिया और UAE वार्ता पर नए मसौदा पाठ से असहमति व्यक्त की।
 - भारत ने वित्त पर बातचीत के तहत पाठ के साथ एकीकरण की कमी की ओर संकेत किया और इस बात पर बल दिया कि नया चैप्यू पाठ शमन-केंद्रित और असंतुलित था।
- **अनुकूलन:** भारत ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के बारे में पाँच मुख्य बिंदु सामने रखे:
 - अनुकूलन कार्य को सार्थक बनाने के लिए कार्यान्वयन के साधनों पर संकेतक शामिल किए जाने चाहिए।
 - राष्ट्रीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धिशील अनुकूलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
 - डेटा पार्टी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से आना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष के डेटाबेस से।
 - बाकू रोड मैप को वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य पर कार्य जारी रखना चाहिए।
 - अनुकूलन प्रगति संकेतकों के आगे अलगाव की आवश्यकता नहीं है।
- **अंतिम वक्तव्य:** भारत ने दोहराया कि इस CoP को वित्त, सक्षमता और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्त प्रदान करने में विफलता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को कमजोर करेगी।:

Source: PIB

हर बच्चे का महत्व: गोद लेने की वकालत(Every Child Matters: Advocating for Adoption)

सन्दर्भ

- दत्तक ग्रहण जागरूकता माह प्रतिवर्ष नवंबर में मनाया जाता है।

परिचय

- यह कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के नेतृत्व में एक पहल है।
- 2024 के लिए थीम: "पालन देखभाल और पालन-पोषण के माध्यम से बड़े बच्चों का पुनर्वास।

भारत में दत्तक ग्रहण डेटा

- भारत में लगभग 29.6 मिलियन फंसे हुए, अनाथ और परित्यक्त बच्चे हैं, लेकिन 3,000 से 4,000 तक का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वार्षिक गोद लिया जाता है।
- भारत में 16,000 से अधिक भावी माता-पिता गोद लेने के रेफरल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध बच्चों की संख्या इस मांग से बहुत कम है।

भारत में बच्चे को गोद लेने से संबंधित कानून

- **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956:** यह अधिनियम हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों पर लागू होता है। यह निर्दिष्ट करता है कि केवल बच्चे के पिता, माता या अभिभावक ही बच्चे को गोद लेने के लिए दे सकते हैं।
- **किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम, 2015:** यह अधिनियम उन बच्चों पर लागू होता है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है और वे गोद लेने के पात्र हैं।
 - संभावित दत्तक माता-पिता (PAPs) की अवधारणा का परिचय देता है जिन्हें CARA के CARINGS पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होना चाहिए।
- **1890 का संरक्षकता और वार्ड अधिनियम:** यह धर्मनिरपेक्ष अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसमें अभिभावक नियुक्त करने के लिए अदालतों में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शामिल है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत में नैतिक और कानूनी गोद लेने की देखरेख करता है।
- भारतीय गोद लेने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में, CARA देश और अंतर-देश दोनों में गोद लेने को विनियमित एवं मॉनिटर करता है।
- यह अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 का पालन करता है, जिसे 2003 में भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था।

केयरिंग्स पोर्टल

- CARINGS (बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली) पोर्टल 2011 में लॉन्च

किया गया था।

- यह हेग कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करते हुए, गोद लेने के लिए एकमात्र मंच के रूप में कार्य करता है।
- पोर्टल कानूनी रूप से मुक्त बच्चों के डेटा को संभावित दत्तक माता-पिता (PAPs) के डेटा के साथ एकीकृत करता है, जिससे प्राथमिकताओं के आधार पर स्वचालित मिलान सक्षम हो जाता है।

गोद लेने की प्रक्रिया में चुनौतियाँ

- **जटिल प्रक्रियाएँ:** लंबी और नौकरशाही गोद लेने की प्रक्रियाएँ कई संभावित दत्तक माता-पिता (PAPs) को रोकती हैं।
- **कम जागरूकता:** कानूनी अपनाने के बारे में सीमित ज्ञान और CARINGS पोर्टल भागीदारी को प्रतिबंधित करता है।
- **सामाजिक कलंक:** गोद लेने वाले परिवारों को पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, और बड़े बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों की तुलना में शिशुओं को प्राथमिकता देना गोद लेने के दायरे को और सीमित कर देता है।
- **पालन-पोषण संबंधी खामियाँ:** भारत की पालन-पोषण देखभाल प्रणाली अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसके कार्यान्वयन के लिए मजबूत नीति ढांचे और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **प्रक्रियाओं को सरल बनाएं:** CARA और अन्य हितधारकों को गोद लेने को अधिक सुलभ बनाने के लिए कानूनी औपचारिकताओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए।
- **जागरूकता बढ़ाएँ:** मीडिया अभियानों और सामुदायिक कार्यशालाओं जैसी पहलों से लोगों को कानूनी अपनाने के लाभों एवं प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
- **पालन-पोषण देखभाल को मजबूत करें:** एक मजबूत पालन-पोषण देखभाल प्रणाली, बड़े बच्चों और विशेष जरूरतों वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा करती है।
- **वित्तीय सहायता:** प्रोत्साहन, परामर्श सेवाएँ और गोद लेने के बाद सहायता प्रदान करने से दत्तक परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- गोद लेना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है; यह जीवन बदलने वाला कार्य है जो बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देता है।
- CARA को सशक्त बनाना, जागरूकता को बढ़ावा देना और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक बच्चे को एक प्यारा घर मिले, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि "हर बच्चे का महत्त्व है।"

Source: PIB

भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन

सन्दर्भ

- हाल ही में, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया था।

गठबंधन के बारे में

- इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देते हुए भूख और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाना है।
- लक्ष्य 2030 तक खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के भूख मानचित्र से सभी देशों को समाप्त करना है।
- **सदस्य:** इसमें 148 सदस्य होते हैं।
 - इसमें 82 देश, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।
 - यह गठबंधन उन देशों के लिए भी सदस्यता के लिए खुला है जो G20 का हिस्सा नहीं हैं।
- **तकनीकी मुख्यालय:** रोम में FAO मुख्यालय।

प्रमुख स्तंभ

- **राष्ट्रीय:** विशिष्ट सार्वजनिक नीतियों का समन्वय।
- **ज्ञान:** साक्ष्य-आधारित समाधानों के लिए डेटा और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण।
- **वित्तीय:** बड़े पैमाने पर संसाधन एकत्रित करना।

गठबंधन की रणनीतिक प्रतिबद्धताएँ

- 2030 तक आय वितरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर 500 मिलियन लोगों तक पहुँचना;
- उच्च बाल भूख दर वाले देशों में 150 मिलियन बच्चों के लिए स्कूली भोजन का विस्तार करना;
- प्रभावी गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के लिए बहुपक्षीय बैंकों के माध्यम से अरबों डॉलर जुटाएँ।

भूख क्या है?

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) भूख को भोजन की कमी, या अल्पपोषण के रूप में परिभाषित करता है, एक व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम आहार ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत कम कैलोरी की आदतन खपत, उस व्यक्ति के लिंग, आयु, कद को देखते हुए।, और शारीरिक गतिविधि स्तर।

वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2024

- वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए GHI को कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ़ द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- जीएचआई की गणना चार संकेतकों के संयोजन के आधार पर की जाती है जो भूख की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाते हैं::
- अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों का कमज़ोर होना और बाल मृत्यु दर।
- GHI 2024 के अनुसार, 42 देशों में भूख का स्तर चिंताजनक स्तर पर है, जिससे 2030 तक शून्य भूख का लक्ष्य अप्राप्य हो गया है।
- 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है, जो भूखमरी के 'गंभीर' स्तर को दर्शाता है।
- छह देशों - सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर, बुरुंडी और दक्षिण सूडान - में भूख का स्तर चिंताजनक माना जाता है।

Source: IE

हरित हाइड्रोजन का निर्यात केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा

सन्दर्भ

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए H2Global Stiftung के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

MoU के बारे में: मुख्य बिंदु


- **उद्देश्य:**
 - बाजार-आधारित तंत्रों पर ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ाना,
 - भारत और आयातक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना,
 - अंततः हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की वैश्विक उन्नति में योगदान दे रहा है।
- यह सहयोग भारत को संयुक्त प्रयासों की संरचना करने का अवसर प्रदान करता है जो ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव का निर्यात केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।
- भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक नेट-शून्य का लक्ष्य घोषित किया है।
 - इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

हाइड्रोजन तत्व

- हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु क्रमांक 1 है।
- हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 75% है।
- यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषैली और अत्यधिक दहनशील गैस है।

हाइड्रोजन का निष्कर्षण

- हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोजन में उपस्थित है।
- इसलिए, इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए, इसे पानी जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों (जो दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन है) से निकालना होगा।
- ग्रीन हाइड्रोजन से तात्पर्य उस हाइड्रोजन से है जो इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से पवन, सौर या जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।
 - इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी (H₂O) को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित करना शामिल है।
 - जब यह बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को "हरित" माना जाता है क्योंकि समग्र प्रक्रिया का पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है।
- **ग्रे हाइड्रोजन:** इसमें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (SMR) नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन निकालना शामिल है।
 - यह प्रक्रिया उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) छोड़ती है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है।
- **ब्लू हाइड्रोजन:** इसमें प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन के उत्पादन के दौरान उत्पन्न CO₂ उत्सर्जन को कैप्चर करना और संग्रहीत करना शामिल है।



हरित हाइड्रोजन का महत्व

- **शून्य उत्सर्जन:** उत्पादन कोई ग्रीनहाउस गैसों या प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे यह शून्य-उत्सर्जन ऊर्जा वाहक बन जाता है।
- **ऊर्जा भंडारण:** हरित हाइड्रोजन कम मांग की अवधि के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को बाद में उपयोग के लिए संग्रहीत करने के साधन के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे ग्रिड को संतुलित करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- **बहुमुखी अनुप्रयोग:** हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन, उद्योग और हीटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
- **आर्थिक अवसर:** हरित हाइड्रोजन में परिवर्तन महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है, जिसमें रोजगार सृजन, नए बुनियादी ढांचे में निवेश और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित उद्योगों की वृद्धि शामिल है।
- **जलवायु शमन:** जीवाश्म ईंधन को हरित हाइड्रोजन से बदलने से कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान मिल सकता है।

हरित हाइड्रोजन की दिशा में भारत की प्रगति और लक्ष्य

- 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में हरित हाइड्रोजन पर एक मजबूत फोकस शामिल है।
- देश का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसके लिए 100 बिलियन डॉलर के निवेश और 125 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। यह प्रधान मंत्री की पंचामृत योजना के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का भी है।
 - भारत में हाइड्रोजन की मांग 2050 तक प्रति वर्ष 29 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने की संभावना है।
- **मांग:** भारत में हरित हाइड्रोजन की मांग 2050 तक 27.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से अधिक होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी और सड़क परिवहन अनुप्रयोग जैसे उद्योग हैं।
- **रोजगार सृजन:** अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के अनुसार, हरित क्षेत्र ने 2018 में 11 मिलियन लोगों को रोजगार दिया, 2050 तक 42 मिलियन से अधिक नौकरियों के अनुमान के साथ, नए उद्योग और नौकरियां पैदा करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया।

भारत के निर्यात केंद्र बनने के दृष्टिकोण में योगदान देने वाले कारक

- **परिवहन में सुलभ:** गैसीय हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का परिवहन करना आसान है, और लंबी दूरी के ऊर्जा व्यापार के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है।
- **बंदरगाह:** भारत के समुद्र तट के साथ-साथ ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं का रणनीतिक स्थान इस निर्यात-उन्मुख दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाता है।
 - ये सुविधाएं लाभप्रद रूप से बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के करीब हैं, जो समान भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर बड़े घरेलू बाजारों की सेवा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रसद को सरल बनाती हैं।
- यह दोहरा फोकस भारत के व्यापक ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्यों का समर्थन करता है और वैश्विक हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत होता है।

चुनौतियां

- **परिवहन से जुड़े जोखिम:** गैसीय रूप में हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है और परिवहन करना कठिन होता है, जिससे सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता बन जाती है।
- **उच्च लागत:** हरित हाइड्रोजन का उत्पादन वर्तमान में पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक महंगा है, जिसका मुख्य कारण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक की उच्च लागत है।
- **ईंधन स्टेशन परिचालन बुनियादी ढांचे की कमी:** भारत को आज विश्व के लगभग 500 हाइड्रोजन स्टेशनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी जो अधिकांशतः यूरोप में हैं, इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया हैं।

हरित हाइड्रोजन पहल

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को सम्मिश्रण कार्यों को मान्यता देने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस बायोमास से हाइड्रोजन के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना चाहता है।
- यह G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है, जो जैव ईंधन के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक साथ लाती है।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM):** इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, इसका लक्ष्य घरेलू मांग का 40% पूरा करते हुए 2030 तक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है।
- **राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHEM):** NGHM राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (NHM) का एक हिस्सा है।
- **उद्देश्य:** भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना।
- **ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।
- **हरित हाइड्रोजन नीति:** भारत में कई राज्य निवेश आकर्षित करने और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीतियां बनाने पर कार्य कर रहे हैं।
- **हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप:** भारत का हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा विकसित किया गया था और 2021 में अनुमोदित किया गया था।
- **उद्देश्य:** रोडमैप का लक्ष्य नवीकरणीय स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन में तेजी लाना और भारत को वैश्विक हाइड्रोजन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाना है।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** NTPC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) जैसे कई PSU's (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) को हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं का नेतृत्व करने और उत्पादन बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में उन्नत देशों और संगठनों के साथ सहयोग का उद्देश्य ज्ञान हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी अपनाने की सुविधा प्रदान करना है।

भविष्य की संभावनाओं

- आगे देखते हुए, हरित हाइड्रोजन को अपनी ऊर्जा प्रणाली में एकीकृत करने का भारत का दृष्टिकोण बहुआयामी है।
 - इसमें उत्पादन बढ़ाने की क्षमताएं, बुनियादी ढांचे का निर्माण, मजबूत नियामक ढांचे की स्थापना और अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार प्रोत्साहन शामिल हैं।
- इन तत्वों को संरेखित करके, भारत कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से बदलाव कर सकता है, जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है और स्वयं को उभरती वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।
- भारत का हरित हाइड्रोजन उद्यम घरेलू और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन की आशाजनक क्षमता रखता है

Source: PIB

समाचार में तथ्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।

सन्दर्भ

- भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के. संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
 - उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया, जिन्हें अगस्त 2020 में CAG के रूप में नियुक्त किया गया था।

परिचय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।

- **अधिदेश:** CAG एक संवैधानिक निकाय है, और इसके अधिदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में शामिल हैं।
- **कार्यकाल और नियुक्ति:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, CAG 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है।
- **स्थिति और निष्कासन:** इसे वरीयता क्रम में भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है और इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर और उसी प्रकार से हटाया जा सकता है।
- **कर्तव्य और शक्तियाँ:** CAG भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की देखरेख करता है।
 - CAG ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है, जो फिर उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है।

क्या आप जानते हैं?

- CAG का पद 1858 में ब्रिटिश भारत में स्थापित भारत सरकार के महालेखाकार के कार्यालय से आया है। पहला महालेखा परीक्षक 1860 में नियुक्त किया गया था।
- भारत के महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा कार्यों को लेखापरीक्षा और लेखा आदेश, 1936 में विस्तृत किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश का आधार बनता है।
- स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1948 में पदभार संभाला।

Source: AIR

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार**समाचार में**

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 22 नवंबर 2024 को एक विशेष समारोह में वर्ष 2022 और 2023 के लिए 82 युवा कलाकारों को प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार के बारे में

- 2006 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्थापित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, 40 वर्ष तक की आयु के युवा कलाकारों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जिन्होंने संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।
 - इस पुरस्कार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट चिकित्सकों को पहचानना है।
- **पात्रता:** 40 वर्ष तक के कलाकार (नामांकन के वर्ष 1 अप्रैल तक आयु) पात्र हैं।
- **पुरस्कार श्रेणियाँ:** संगीत, नृत्य, रंगमंच, अन्य पारंपरिक/लोक/आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली प्रदर्शन कला में योगदान/छात्रवृत्ति
- **पुरस्कार में शामिल हैं:** 25,000, रुपये का नकद पुरस्कार। एक पट्टिका और एक अंगवस्त्रम।
- **वार्षिक सीमा:** प्रत्येक वर्ष अधिकतम 33 पुरस्कार दिये जा सकते हैं।
- पुरस्कार का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और भारत में प्रदर्शन कला में उनके योगदान का जश्न मनाना है।

Source: Air

अमूर फाल्कन(Amur Falcon)**सन्दर्भ**

- विश्व के सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाले पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मणिपुर के तमैंगलॉंग जिले में 9वां अमूर फाल्कन उत्सव मनाया गया।
 - ये पक्षी दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रवास के हिस्से के रूप में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और नवंबर के दौरान तामैंगलॉंग में बसेरा करते हैं।

परिचय: अमूर फाल्कन

- वे बाज़ परिवार के छोटे शिकारी पक्षी हैं जिनका वैज्ञानिक नाम फाल्को अमुरेन्सिस है।
- इस प्रजाति का नाम अमूर नदी के नाम पर रखा गया है जो रूस और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है।

- यह दक्षिणपूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करता है, और मंगोलिया एवं साइबेरिया लौटने से पहले पूरे भारत एवं फिर हिंद महासागर से अफ्रीका तक लाखों की संख्या में प्रवास करता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - **IUCN लाल सूची:** सबसे कम चिंतित
 - **भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** संरक्षित
 - **प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS):** संरक्षित

Source: AIR

पेस कार्यक्रम(PACE program)

समाचार में

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) ने पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (PACE) कार्यक्रम के तहत परियोजना समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

PACE कार्यक्रम के बारे में

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) का PACE कार्यक्रम भारतीय उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
- यह अधूरी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं के व्यावसायीकरण के लिए नवीन कार्यों एवं नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- व्यावहारिक अनुप्रयोगों और अवधारणा के प्रमाण प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं को सामान्यतः 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए समर्थित किया जाता है।

Source: PIB

रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित की


सन्दर्भ

- रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) लॉन्च की, जो वर्तमान संघर्ष में इस तरह के शक्तिशाली, परमाणु-सक्षम हथियार का पहला उपयोग है।

ICBM के बारे में

- ICBM एक प्रकार की लंबी दूरी की मिसाइल है जिसे परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **रेंज:** 5,500 किलोमीटर (लगभग 3,400 मील) से अधिक, जो उन्हें महासागरों के पार यात्रा करने और दूर देशों में लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम बनाती है।
- **गति:** यह 24,000 किमी/घंटा (लगभग 15,000 मील प्रति घंटे) तक की गति तक पहुँच सकता है।
- **पेलोड:** ICBM सामान्यतः परमाणु हथियार से लैस होते हैं, लेकिन कुछ पारंपरिक हथियार या अन्य प्रकार के पेलोड ले जा सकते हैं।
- एक बैलिस्टिक मिसाइल बूस्ट, मिड-कोर्स और टर्मिनल चरण के साथ एक परवलयिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है।
 - उच्चतम बिंदु जहां मिसाइल पहुंचती है उसे अपोगी कहा जाता है और ICBM के लिए, यह 4,000 किमी से अधिक है।

- **परिशुद्धता:** ICBM उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस हैं, जो अंतरमहाद्वीपीय दूरी पर भी अपने इच्छित लक्ष्य को भेदने में सटीकता सुनिश्चित करते हैं।



Source: HT

आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया

सन्दर्भ

- आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी को रद्द कर दिया है।

परिचय

- यह कदम राज्य की घटती प्रजनन दर पर चिंताओं के बीच उठाया गया है।
- 2019-21 के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश की कुल प्रजनन दर प्रति महिला 1.7 बच्चे है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी कम है।

टू चाइल्ड पॉलिसी (Two-child Policy)

- टू चाइल्ड पॉलिसी 1994 में शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
 - इस नियम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना था, सीमा पार करने वाले दावेदारों को अयोग्य घोषित करना था।
- राजस्थान 1992 में पंचायत स्तर पर "टू चाइल्ड पॉलिसी" अपनाने वाला पहला राज्य बन गया, इसके बाद 1994 में आंध्र प्रदेश (तब अविभाजित) और हरियाणा थे।
 - इसके बाद कई भारतीय राज्यों ने इस नीति को अपनाया।
- इस नीति को अपनाने वाले 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 2005 में इसे वापस ले लिया।

Source: IE

बौद्ध सिद्धांत(Buddhist Doctrines)

सन्दर्भ

- लाओस में एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन में, भारत के रक्षा मंत्री ने आधुनिक समय के संघर्षों और वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने में बौद्ध सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर बल दिया।

बौद्ध सिद्धांत(Buddhist Doctrines)

- चार आर्य सत्य;**
 - जीवन दुख है (दुःखा)।
 - दुःख आसक्ति और इच्छा से उत्पन्न होता है।
 - जब आसक्ति और इच्छा दूर हो जाती है तो दुख समाप्त हो जाता है।
 - निरोध का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है।
- महान आठ गुना पथ;**
 - नैतिक आचरण:** सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका।
 - मानसिक अनुशासन:** सही प्रयास, सही दिमागीपन, सही एकाग्रता।
 - बुद्धि:** सही समझ, सही इरादा।
- अहिंसा (अहिंसा):** सभी जीवित प्राणियों को हानि से बचाने की प्रतिबद्धता।
- परस्पर निर्भरता (प्रतीत्यसमुत्पाद):** यह समझ कि सभी घटनाएं अन्य घटनाओं पर निर्भरता में उत्पन्न होती हैं।

समकालीन विश्व में महत्व

- सम्यक वाणी का सिद्धांत रचनात्मक संचार और शत्रुता से बचने को प्रोत्साहित करता है।
- करुणा, राष्ट्रों को मानवीय नीतियों और मानवीय हस्तक्षेपों की ओर मार्गदर्शन करती है।
- मध्य मार्ग:** यह जलवायु वार्ता या व्यापार विवाद जैसे ध्रुवीकरण वाले वैश्विक मुद्दों को संबोधित करता है।
- अहिंसा:** शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और हथियार नियंत्रण समझौतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं?

Five Events in Buddha's Life

Events	Symbol
1. Janma (Birth)	Elephant
2. Mahabhinishkramana (Renunciation)	Horse
3. Nirvana/Sambodhi (Enlightenment)	Bodhi tree
4. Dharmachakra pravartana (1 st sermon)	Wheel
5. Mahaparinirvana (Death)	Stupa

Source: TH

अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना

सन्दर्भ

- अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बन गया है।

परिचय

- भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में पार्टियों के 21वें सम्मेलन (COP21) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का शुभारंभ किया।
- ISA का लक्ष्य सौर ऊर्जा की तीव्र और बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना है।
- **सचिवालय:** गुरुग्राम.
- **सदस्य:** सदस्य देश वे देश हैं जिन्होंने ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया है।
 - वर्तमान में, 120 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं।

क्या आप जानते हैं?

- अर्मेनिया एक स्थलरुद्ध देश है
- **पड़ोसी देश:** उत्तर में: जॉर्जिया; पूर्व में: अज़रबैजान; दक्षिण में: ईरान; पश्चिम में: तुर्की.
- **सबसे ऊँची पर्वत चोटी:** अरागाट्स (4,090 मीटर)



Source: ANI